न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 43/2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सत्यनारायण उर्फ सतुराम पुत्र मूलाराम जाति घांची निवासी मेडता तहसील मेडता जिला नागौर।		1 तहसीलदार, मेडता तहसील मेडता जिला नागौर। 2 पटवारी हल्का, मेडता तहसील मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक:07.11.25

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मेडता द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 01/2025 पटवारी हल्का बनाम सतुराम में निर्णय दिनांक 04.06.2025 के तहत मौजा मेडता के खसरा नं. 633 गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.06.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मेडता के प्रकरण सं. 01/2025 पटवारी हल्का मेडता बनाम सतुराम की पत्रावली की फोटोप्रति, मौजा मेडता के खसरा नं. 632 व 644 के नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति तथा फोटोग्राफ–4 पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर एकपक्षीय रूप से पारित किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा साथ ही दिनांक 04.06.2025 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रति अपीलांट को दी जानी आवश्यक थी तथा उक्त रिपोर्ट पर जवाब इत्यादि देने का अपीलांट को अवसर प्रदान करना चाहिये था। इससे साफ साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आनन फानन मे उतावलेपन से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जो उसका विधिक अधिकार है। जैर अपील निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्व होने से एवं एकपक्षीय होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का के किसी प्रकार के बयान कलमबद्व नही किये गये तथा साथ ही अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर प्रदान नही किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा जो प्रकरण दर्ज करवाया उसे जिरह के दौरान अपीलांट को जिरह करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा साथ ही पटवारी हल्का द्वारा जो नोटिस जारी कर संवत 2082 मे पक्का निर्माण व कब्जा करने का कथन किया बिल्कुल ही गलत दर्ज किया है तथा जो नोटिस के पीछे जो नक्शा मुर्तिब किया उस खसरा नं. 633 का रकबा कितना था। उक्त खसरे का किसी प्रकार का नाप चोप नही किया गया। जबकि अपीलांट का गैर मुमकिन ढाणी खसरा नं. 632 मे मकान व नोहरा इत्यादि बना हुआ है। इस प्रकार बिना नाप चोप, बिना भौतिक सत्यापन किये गलत रूप से खसरा नं. 633 मे निर्माण बताकर के अपीलांट के विरूद्व गलत रूप से पटवारी हल्का द्वारा गलत कार्यवाही खसरा नं. 634 के खातेदार से मिलावट करके की गई जो कतई मानने योग्य नही थी तथा पटवारी हल्का से जिरह इत्यादि का अवसर प्रदान नही किया गया। तमाम तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई विधि संगत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट का खसरा नं. 633 आम रास्ते पर कब्जा नही है बल्कि खसरा नं. 632 जो कि खसरा नं. 633 के चिपते ही उत्तर की ओर तरफ आया हुआ है। उक्त खसरा नं. 632 गै. मु. ढाणी है उस पर अपीलांट का पक्का मकान है। उक्त मकान अपीलांट के दादा बालूराम के समय से कब्जा चला आ रहा

अपर कलक्टर, नागौर

है व तत्पश्चात उसके पिता मूलाराम ने आज से तीस वर्ष पूर्व इस पर पक्का मकान मे मूलाराम के वारिसान अपने परिवार सहित उक्त मकान मे रहवास करते है व उपयोग व उपभोग करते है। उक्त तमाम तथ्यो का उल्लेख पटवारी हल्का ने अपने नोटिस व जवाब मे दर्ज नही किया तथा साथ ही निर्माण 2082 का ताजा बतलाया गया है जो भी गलत बतलाया गया है क्योकि निर्माण लगभग 30 वर्ष पहले का तथा कब्जा अपीलांट के दादा के समय का है। इस आधार पर भी जैर अपील निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–सही वस्तु स्थिति यह है कि अपीलांट का खेत उक्त गैर मुमकिन ढाणी जहां पर बनी हुई है वहां नजदीक मे आया हुआ है तथा आज से करीब 100 साल पहले बालूराम को सरकार के द्वारा अपने खेत मे काश्त करने हेतु उक्त जमीन एलोट की थी तब से इस पर कब्जा चला आ रहा है जो सरकारी नियमानुसार खेतो के नजदीक कृषक रह सके इससे उक्त जमीन रहवास हेतु एलोट की थी जहां पर अपीलांट के मवेशी का भी लालन पालन किया जाता रहा है तथा आज भी होता है तथा उक्त भूमि मे कृषि से संबंधित यंत्र भी रखने मे कार्य मे आता है इस प्रकार अपीलांट का कब्जा सौ वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण उसे मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये है तथा इस जगह पर 50 पटटी का मकान भी बना हुआ है जहां पर आज भी उसके परिवार सहित लोग रहते है अपीलांट के उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान नही तथा साथ ही पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप चोप के गलत रूप से उक्त प्रकरण खसरा नं. 634 के खातेदार से मिलावट करते हुए बनवाया गया है जो कतई न्याय संगत नही है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट का उक्त मकान खसरा नं. 632 मे आता है जिसकी नाप चोप करवाना आवश्यक है तब ही सारी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी इस प्रकार जो अपीलांट का मकान खसरा नं. 633 मे बताया है जो बिल्कुल गलत बताया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा किसी प्रकार की नाप चोप किये बगैर गलत रूप से गलत जगह पर मकान बतलाकर उक्त रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो कतई न्याय संगत नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–खसरा नं. 332 जो गैर मुमकिन ढाणी दर्ज है जिसके पुराने खसरा नं. 392 है जो पुराने नक्शे मे मौजूद है तथा खसरा नं. 633 के पुराने नं. 386 जो पुराने नक्शे मे कही भी मौजूद नही है तथा साथ ही खसरा नं. 632 व 633 के पूर्वी तरफ खसरा नं. 644 गैर मुमकिन ढाणी दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ता मौजूद है तथा रास्ते से 15 फिट दूर अपीलांट का मकान स्थित है। इससे साबित है कि रेकर्ड बिल्कुल ही गलत दर्ज है क्योकि खसरा नं. 644 रेकर्ड मे गैर मुमकिन ढाणी आज भी मौजूद है। लेकिन उक्त स्थान पर मुडिया रोड स्थित है जहां पर वर्तमान आवागमन स्थित है। लेकिन खसरा नं. 633 गलत रूप से गैर मुमकिन रास्ता तो दर्ज है। लेकिन मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता या रोड मौजूद नही है। इस प्रकार पटवारी हल्का ने खसरा नं. 634 के खातेदार से मिलावट करते हुए उसके प्रभाव मे आकर मौके की वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे मे रखते हुए अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया व उसी जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय ने जैर अपील निर्णय पारित किया। जो वास्तविक तथ्यो व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मेडता में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मेडता के खसरा नंबर 633 गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/18

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर